

आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

नं० ९ ज १७ तारीख २३ २०-७-१७

उजवान - समथसिंह बनाम जगन गुजर कोठे
बाबू महासिंहपुरा

दावा बाबत डिक्जिन आफ होल्डिंग व स्थायी
निषेधाज्ञा व बेदखली श्रेष्ठि


दादी की ओर से श्री राम प्रवेशी गुप्ता एडवोकेट ने दावा
बाबत डिक्जिन आफ होल्डिंग व स्थायी निषेधाज्ञा व
बेदखली अन्तर्गत धारा १८३, ५३, १८८ के तहत पेश किया।
आ बन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर
अन्तर्गत प्रतीवादी जगन को जुरिये सम्मन से तलाब किया जाये
प्रावली दिनांक ३-८-१७ को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

५१८३-८२
२०-७-१७

३-८-१७

दादी वकील उप. / प्रतिवादी नं. १ ता. ६ की ओर से
श्री मदन मोहन शर्मा A.W. ने भी पेश किया। प्रतिवादी
नं. ७, ९ का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी नं. ९ में उपस्थित टांक
पेश किया / शा. किया / प्रतिवादी नं. १०, ११, १२, १३ स्वयं उप.
प्रतिवादी नं. १५, १६ क्वजुद सूचना उप. नहीं हैं उनके
विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. १५
का सम्मन ३१ दम तादील प्राप्त हुआ है। पेश करने पुनः तत्पत्र
वकालतनामा एवं जब्ब दि. ११-८-१७ को पेश हो।



जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

21/8
४०००००/००००
४०००००
४०००००
४२५११५
३-८-२०१७

प्रावली जम्बल पेशी से पेश हुई। पोसाएव
मीफिंग से पच्यो है। धारा १०५ के तहत
२७-१०-१७ को पेश हो।



न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
3-10-19	<p>पत्रावली पेश हुई। बादी वकील उपस्थित नहीं थे। कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी बादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं थे। अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली के हल श्रुतार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;"> उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (कसेली)</p>